मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 18 / 11 /2024

क्रमांक एफ 4/3/5/0001/2024/तीस : राज्य शासन एतद् द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान एवं शिखर सम्मान स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

महाराजा विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान

1. **सम्मान का नाम:-** यह सम्मान सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान के नाम से जाना जायेगा।
2. **उद्देश्य:-** यह सम्राट विक्रमादित्य के बहुविध गुणों न्याय, दानशीलता, वीरता सुशासन, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, कला शौर्य, प्राच्य वांग्मय, राजनय, आध्यात्मिक क्षेत्र, रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्य के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
3. **संख्या:-** यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा। यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।
4. **सम्मान की राशि:-** इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में रूपये 11 लाख (ग्यारह लाख रूपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगीं।

सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान

1. **सम्मान का नाम:-** यह सम्मान सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान के नाम से जाना जायेगा।
2. **उद्देश्य:-** यह सम्राट विक्रमादित्य के बहुविध गुणों न्याय-विधि, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, कला, शौर्य, प्राच्य वांग्मय, राजनय, आध्यात्मिक क्षेत्र, रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्य के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
3. **संख्या:-** यह सम्मान प्रादेशिक होगा। यह सम्मान प्रतिवर्ष तीन प्रतिष्ठित संस्था एवं व्यक्तियों को प्रदान किये जायेंगे। पहली श्रेणी न्याय, दानशीलता, वीरता, सुशासन, राजनय, शौर्य होगी। दूसरी श्रेणी में खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान तथा प्राच्य वांग्मय विषय को सम्मिलित किया गया है और तीसरी श्रेणी में रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्य करने वाली संस्था या व्यक्ति को सम्मान से अलंकृत किया जायेगा।

निरंतर....2

4. **सम्मान की राशि:-** इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में रूपये 2.00 लाख (दो लाख रूपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी।

अन्य शर्तें

5. **पात्रता:-** यह सम्राट विक्रमादित्य के बहुविध गुणों न्याय, दानशीलता, वीरता, सुशासन, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, कला, शौर्य, प्राच्य वांग्मय, राजनय, आध्यात्मिक क्षेत्र, रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्य के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय योगदान करने वाले साधनारत व्यक्ति/संस्था को दिया जायेगा।

6. **अन्य शर्तें:-** सम्मान के लिए सम्राट विक्रमादित्य के बहुविध गुणों न्याय, दानशीलता, वीरता, सुशासन, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, कला, शौर्य, प्राच्य वांग्मय, राजनय, आध्यात्मिक क्षेत्र, रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी।

7. **चयन प्रक्रिया:-** सम्मान के चयन के लिए प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगां। निर्णायक मंडल के देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही निदेशक, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा की जायेगी।

   - सम्मान चयन के लिए न्यूनतम पॉच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी।
   - सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा।
   - निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रिवष्टियॉ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मंडल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
   - यदि निर्णायक मंडल सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।

निरंतर....3

- इस सम्मान से एक बार सम्मानित व्यक्ति/संस्था को पुन: यह सम्मान प्रदान नहीं किया जायेगा।
- निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा।
- सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मंडल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुन प्रारंभ की जा सकेगी।

8. **संवितरण अधिकारी:-** यह सम्मान प्रति वर्ष सचिव, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, मध्यप्रदेश द्वारा वितरीत किया जायेगा।

(शिव शेखर शुक्ला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग/
सचिव, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ